न्यायालय उप जिला कलक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
07/09/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० । गिरदावर हल्का हिण्डौन से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली है। वादी कोई साक्ष्य गवाह के रूप मे पेश नही करना चाहता है। वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 11-09-2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी
11/09/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
11.09.2020
हिण्डौन सिटी
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 15:27:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 1234/2020 तारीख रजू :–01.07.2020

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

1. राजेन्द्र प्रसाद | पिसरान श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण
2. मोहनलाल | निवासी चौबेपाडा हिण्डौन सिटी जिला करौली–वादीगण

बनाम

1. गोपाल | पिसरान श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण
2. जितेन्द्र | निवासी चौबेडा हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. वीरेन्द्र
4. प्रतीक चतुर्वेदी | पिसरान महेश जाति ब्राहम्ण निवासी चौबे पाडा हिण्डौन
5. रूची | जिला करौली
6. तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती)

उपस्थित :– 1. श्री अशोक कुमार नीमनका एडवोकेट वादीगण

निर्णय दिंनाक :– 11-09-2020

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती) खिलाफ प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 923,924,925,926,928 कुल किता 5 कुल रकबा 3.08 है0 स्थित ग्राम हिण्डौन में वादीगण एवं प्रतिवादी सं01 ता 3 व प्रतिवादी सं0 4 व 5 के पिता महेश प्रत्येक बहिस्सा 1/6, 1/6 के खातेदार काश्तकार हैं। जबकि उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी में वादीगण का नाम राजेन्द्र प्रसाद व मोहनलाल दोनों अलग अलग व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति दर्शाते हुए राजेन्द्र मोहन हिस्सा 1/5 गलत दर्ज फरमा दिया है। जिसे संशोधित फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 891, 892, 893, 894, 895, 901, 927, 929 कुल किता 13 कुल रकबा 9.37 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादी सं01 का नाम राजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज रिकार्ड है।जिसे संशोधित फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि उक्त दिनांक 11.03.2020 को वादीगण अपनी के0सी0सी0 की फाईल बनवाने गये तो हल्का पटवारी से जानकारी करने पर उक्त गलती का पता चल पाया है। इसलिए संशोधन का दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 15:27:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि दिनांक 11.03.2020 को वादीगण के नाम में तहसीलदार तहसील हिण्डौन द्वारा संशोधन करने से इन्कार करने से इस अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 923, 924, 925, 926, 928 कुल किता 5 कुल रकबा 3.08 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में राजेन्द्र मोहन के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद व मोहनलाल संशोधित फरमाया जाकर वादीगण प्रत्येक बहिस्सा 1/6, 1/6 एवं प्रतिवादी सं0 1ता 3 बहिस्सा प्रत्येक 1/6,1/6, एवं प्रतिवादी सं0 4 व 5 बहिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार हैं एवं आराजी खसरा नम्बर 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 891, 892, 893, 894, 895, 901, 927, 929 कुल किता 13 कुल रकबा 9.37 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादी सं01 का नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद संशोधित फरमाये जाने के आदेश प्रदान करते हुए उक्त आशय का अमल दरामद समस्त रेवन्यू रिकार्ड व कागजात पटवार में दर्ज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 02.09.2020 को प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता 2, नकल जमाबन्दी सं0 2063–66 किता 2, मतदाता पहचान पत्र सं0 आर.बी.पी./0948208 राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी पुत्र श्यामस्वरूप निवासी 36, विष्णुपुरी, मालवीय नगर, वार्ड नं035 जयपुर, मतदाता पहचान पत्र सं0एस.एफ.सी./0525568 मोहनलाल पुत्र श्यामस्वरूप निवासी 121, चौबेपाडा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश किये हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 923, 924, 925, 926, 928 कुल किता 5 कुल रकबा 3.08 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी गोपाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, जितेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र महेश हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, रूचि चतुर्वेदी पुत्री महेश हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, [illegible] पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, वीरेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 16:27:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 891, 892, 893, 894, 895, 901, 927, 929 कुल किता 13 कुल रकबा 9.37 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी गोपाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, जितेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र महेश हिस्सा 1/12 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, रूचि चतुर्वेदी पुत्री महेश हिस्सा 1/12 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, मोहनलाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, राजेन्द्र कुमार पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, वीरेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2063–66 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 923, 924, 925, 926, 928 कुल किता 5 कुल रकबा 3.08 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी उर्मिला देवी धर्म पत्नि श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण नि0ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3227 फैंसल दिनांक 24.06.2009 द्वारा उर्मिलादेवी की विरासत महेश गोपाल जितेन्द्र राजेन्द्र मोहन वीरेन्द्र पुत्र श्यामलाल उर्फ मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2063–66 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 883, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 891, 892, 893, 894, 895, 901, 927, 929 कुल किता 15 कुल रकबा 10.56 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी महेश चन्द, गोपाललाल, जितेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार, मोहनलाल, वीरेन्द्र कुमार पिसरान श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल मु0 उर्मिलादेवी बेवा श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण 3227 फैंसल दिनांक 24.06.2009 द्वारा उर्मिलादेवी की विरासत महेश गोपाल जितेन्द्र राजेन्द्र मोहन वीरेन्द्र पुत्र श्यामलाल उर्फ मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

मतदाता पहचान पत्र सं0 आर.बी.पी./0948208 राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी पुत्र श्यामस्वरूप निवासी 36, विष्णुपुरी, मालवीय नगर, वार्ड नं035 जयपुर के नाम से जारी किया गया है।

मतदाता पहचान पत्र सं0एस.एफ.सी./0525568 मोहनलाल पुत्र श्यामस्वरूप निवासी 121, चौबेपाडा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया गया है।

उक्त प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन एवं पटवारी हल्का कस्बा हिण्डौन से मौके की रिपोर्ट ली गई। पटवारी [illegible] ने दिनांक 04.09.2020 को मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि [illegible] राजेन्द्र प्रसाद बनाम गोपाल में आराजी खसरा नम्बर [illegible] 926, 928 कुल किता 5 कुल रकबा 3.08 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में [illegible] जमाबन्दी हिण्डौन सं0 2071–74 के खाता सं0 1436 के अनुसार गोपाल जितेन्द्र राजेन्द्र मोहन वीरेन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 15:27:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पिसरान श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हि0ब0 4/5 प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र महेश रूची चतुर्वेदी पुत्री महेश हि0ब0 1/5 जाति ब्राहम्ण सा0देह की खातेदारी में दर्ज रिकाड है एवं खसरा नम्बर 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 891, 892, 893, 894, 895, 901, 927, 929 कुल किता 13 कुल रकबा 9.37 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में मुताविक जमाबन्दी हिण्डौन सं0 2071-74 के खाता सं0 1439 के अनुसार गोपाललाल, जितेन्द्र कुमार, मोहनलाल, राजेन्द्र कुमार, वीरेन्द्र कुमार पिस0 श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हि0 5/6, प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र महेश चन्द, रूची चतुर्वेदी पुत्री महेश चन्द हि0ब01/6जाति ब्राहम्ण सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

मौके पर खसरा नम्बर 1275 व 1276 में पानी भरा हुआ है एवं अन्य सभी खसरा नम्बरान में बाजरा व तिल की फसल खडी हुई है। मौके पर खातेदारान ही का कब्जा काश्त है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि राजेन्द्र कुमार, राजेन्द्रमोहन एवं राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल एक ही व्यक्ति है, जिनका सही नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल है तथा मोहन एवं मोहनलाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल एक ही व्यक्ति है, जिनका सही नाम मोहनलाल हैं। श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल के 6 पुत्र कमशः गोपाललाल, जितेन्द्र कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, वीरेन्द्र कुमार, मोहनलाल, महेश चन्द हैं। महेश चन्द के वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में क्रमशः प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र महेश चन्द एवं रूची चतुर्वेदी पुत्री महेश चन्द हैं। राजेन्द्र और मोहन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। राजेन्द्रमोहन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र कुमार, राजेन्द्रमोहन के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल एवं मोहनलाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आराजी आराजी खसरा नम्बर 923, 924, 925, 926, 928 कुल किता 5 कुल रकबा 3.08 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी गोपाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, जितेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र महेश हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, रूचि चतुर्वेदी पुत्री महेश हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, राजेन्द्रमोहन पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, वीरेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में राजेन्द्र व मोहन दो अलग अलग व्यक्ति है जिनको राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से राजेन्द्रमोहन एक ही व्यक्ति प्रदर्शित करते हुए हिस्से में परिवर्तन कर दिया है जबकि नकल जमाबन्दी स0 2063-66 के खाता संख्या 1198 में राजेन्द्र व मोहन दोनों अलग अलग नाम हैं। इस प्रकार वादीगण के हिस्से में भी दुरूस्ती के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती) खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती) डिक्री किया जाकर आराजी आराजी खसरा नम्बर 923, 924,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 16:27:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

925, 926, 928 कुल किता 5 कुल रकबा 3.08 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में खातेदार गोपाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, जितेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र महेश हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, रूचि चतुर्वेदी पुत्री महेश हिस्सा 1/10 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, राजेन्द्रमोहन पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, वीरेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के स्थान पर गोपाललाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6, जितेन्द्र कुमार पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6, प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र महेश चन्द हिस्सा 1/12, रूची चतुर्वेदी पुत्री महेश चन्द हिस्सा 1/12, मोहनलाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6, वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 891, 892, 893, 894, 895, 901, 927, 929 कुल किता 13 कुल रकबा 9.37 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में खातेदार गोपाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, जितेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र महेश हिस्सा 1/12 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, रूचि चतुर्वेदी पुत्री महेश हिस्सा 1/12 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, मोहनलाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, राजेन्द्र कुमार पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार, वीरेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण के स्थान पर के स्थान पर गोपाललाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6, जितेन्द्र कुमार पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6, प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र महेश चन्द हिस्सा 1/12, रूची चतुर्वेदी पुत्री महेश चन्द हिस्सा 1/12, मोहनलाल पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6, वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 11-09-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.09.2020

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 16:27:14 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner